उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार

संख्या ::170/23/E-01/DR/PCS/2023-24 दिनांक ::29 अगस्त, 2024

निस्तारण आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या– A-2/E-1/PCS/2023-24, दिनांक 14 मार्च, 2024 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 के सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–03 के अनुसार निस्तारित कर दिया गया है–

क्र.सं.	अनुरोधकर्ता का नाम श्री/सुश्री/सर्वश्री	निस्तारण
01.	श्रीमती निधि काण्डपाल, अनुक्रमांक–116812	अभ्यर्थिनी के अनुरोध पर प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष उत्तराखण्ड महिला उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं करते हुए उनके ऑनलाइन आवेदन–पत्र में लिंग (Gender) Male के स्थान पर Female कर दिया गया है।
02.	मंजू, अनुक्रमांक–101531	विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं0–08 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 03.04.2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की बेवसाइट psc.uk.gov.in पर Online Edit Window लिंक दिनांक 09.04.2024 से दिनांक 18.04.2024 (रात्रि 11:59:59 बजे तक) तक खोला गया था। इस स्तर पर विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं0–08 के अनुसार अभ्यर्थी को पुनः शैक्षिक अर्हता में संशोधन का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत आवेदनकर्ता द्वारा प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार्य करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।

27/8/24

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।